: प्रेस विज्ञप्ति :

"ओ" लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना पूर्णतया आनलाइन हैं इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त जनपद में कार्यरत संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के युवक/युवतियों को ओ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट **http://backwardwelfareup.gov.in** पर दिये गये लिंक के माध्यम से पंजीकरण किये जाने की तिथि 07 अगस्त, 2020 से 23 अगस्त, 2020 तक होगी। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में समान रूप से वार्षिक आय रू0 1,00,000/- निर्धारित है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट(10+2) आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए एवं जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

सम्बन्धित आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथास्थान हस्ताक्षर बनाकर निम्न अभिलेखों जैसे– जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सहित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, अयोध्या में दिनांक 24 अगस्त, 2020 तक सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
अयोध्या।

कार्यालयः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या।

पत्रांकः /पि0व0क0/2020–21 दिनांकः अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अयोध्या।
4. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को उक्त विज्ञप्ति की 10 अतिरिक्त प्रतियां में पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया जनहित में स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
अयोध्या।

मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या
13-8-2020